विचार बिन्दु

बड़े को छोटा बनकर रहना चाहिए, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है, वह छोटा बन जाता है और जो छोटा बनता है वह बड़ा पद पाता है।

–ईसा

एमएसपी घोषणा के साथ ही जरुरी है खरीद और बाजार संतुलन

किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए केन्द्र सरकार ने गेहूं सहित छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। बुवाई के समय ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अच्छी परंपरा मानी जा सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा रवी फसलों के लिए घोषित समर्थन मूल्य में रेपसीड और सरसों की एमएसपी में गए साल की तुलना में सर्वाधिक 300 रु., मसूर में 275 रु., चना में 210 रु., गेंहू में 150 रु. कुसुम में 140 रु. और जौ में 130 रु.की बढ़ोतरी की है।

केन्द्र सरकार द्वारा किए गए दावें के अनुसार देखा जाए तो गेंहू की लागत से 105 प्रतिशत, रेपसीड सरसों में 98 प्रतिशत, मसूर में 89, जौ और चना में 60-60 प्रतिशत और कुसुम में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

निष्कर्ष रुप से यह कहा जा सकता है कि लागत की तुलना में सभी छह फसलों की एमएसपी दरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। सरकार का दावा है कि लागत में खाद-बीज, कीटनाशक, सिंचाई पर व्यय के साथ ही मानव श्रम का भी समावेश किया गया है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरुआत भी समय पर कर दी जाती है। अब ऑलाईन व्यवस्था होने से खरीद में कुछ हद तक पारदर्शिता आई है तो भुगतान भी सीधे काश्तकार के खाते में होने से भुगतान में होने वाले लीकेज में भी कुछ हद तक रोक लगी है। पर अब भी प्रष्न उसी प्रकार से सामने हैं और वह है खरीद की गांरटी तो दूसरा बाजार पर नियंत्रण। बाजार के ताजा हालात हमारे सामने है। पिछले एक-डेढ़ माह में समूचे देश में गेंहू के भावों में तेजी आई है और आटा मिलों द्वारा आटा के भावों में बेतहासा बढोतरी कर दी है। सब्जियों की मंहगाई से त्रस्त गरीब की रसोई को आटे के भावों ने बुरी तरह से प्रभावित किया है।

सरकारी विशेषज्ञों को एक और बात पर ध्यान देगा होगा कि एक समय था जब सरकारी खरीद की घोषणा होते ही बाजार में उस जिंस के भावों में तेजी आ जाती थी और दस से पन्द्रह प्रतिशत खरीद होते-होते तो सरकार द्वारा घोषित दर और बाजार की दरों के बीच लगभग संतुलन आ जाता था। विचारणीय यह है कि क्या कारण है कि आज ऐसा नहीं होता।

एमएसपी पर खरीद की गांरटी को लेकर किसान आंदोलन से जुड़े लोग आवाज उठाते रहे हैं। यह तो सही है कि सरकार द्वारा गेहूं चना, सरसों आदि की तो समय पर खरीद शुरु कर दी जाती है पर जरुरी यह हो जाता है कि जब तक बाजार भाव सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के करीब नहीं आ जाते हैं तब तक सरकार को खरीद जारी रखने का निर्णय किया जाना चाहिए।

सरकारी विशेषज्ञों को एक और बात पर ध्यान देगा होगा कि एक समय था जब सरकारी खरीद की घोषणा होते ही बाजार में उस जिंस के भावों में तेजी आ जाती थी और दस से पन्द्रह प्रतिशत खरीद होते-होते तो सरकार द्वारा घोषित दर और बाजार की दरों के बीच लगभग संतुलन आ जाता था।

विचारणीय यह है कि क्या कारण है कि आज ऐसा नहीं होता। दूसरा सरकार को बाजार पर नजर रखने वाली विशेषज्ञों की टीम भी बनानी होगी या यों कहे कि इस तरह के विशेषज्ञों को और अधिक सक्रिय करना होगा तब खरीद बंद होने और उसके बाद गाहे बेगाहे एकाएक बाजार में कृत्रिम कमी दिखाते हुए बाजार भावों में तेजी आ जाती है। यह भी देखना होगा कि बाजार में एक बार भाव बढने पर उन्हें पूर्व स्तर पर लाना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है।

दरअसल ऐसे हालातों से अन्नदाता, सरकार और आम आदमी तीनों ही प्रभावित होते हैं और फायदा केवल बिचौलियों को होकर रह जाता है। अन्नदाता नाराज होता है कि उसे अपनी पैदावार के पूरे पैसे नहीं मिले, बाजार भाव बढने से आमआदमी की नाराजगी साफ है तो सरकार की भी किरकिरी होती है वह अलग। विपक्ष को आलोचना का मौका मिल जाता है। ऐसे में यदि बाजार पर नजर रखने वाली टीम सशक्त हो, उसका बाजार के हालातों पर सही और दूरगामी विश्लेषण किया जाता हो तो बाजार पर नियंत्रण रखने के साथ ही हालात पर समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है।

हमारे सामने उदाहरण है समय विशेष पर टमाटर, प्याज, आलू सब्जियां ही नहीं दालों और पिछले दिनों में गेंहू के भावों में तेजी आ जाती है। अब यदि निगरानी तंत्र मजबूत हो तो संभावित कमी वाले दिनों में बाजार पर नियंत्रण की पहले से ही तैयारी की जा सकती है और इससे सरकार और आम आदमी दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार और कृषि कारोबार से जुड़े लोगों को इस दिशा में काम करना होगा तभी वास्तविक लाभ अन्नदाता, सरकार और आमजन को मिल सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

सायबर धोखाधड़ी का कहर

टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों की लापरवाही का खामियाजा उठा रही है जनता

सुनील दत्त गोयल

आज के समय में डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। हर काम, चाहे बैंकिंग हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संवाद, अब आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। परंतु इसी डिजिटल दुनिया के साथ सायबर अपराधों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एक प्रमुख कारण है कि सायबर अपराधियों के लिए मोबाइल सिम कार्ड और बैंक खातों की आसानी से उपलब्धता, जिनका गलत उपयोग करना उनके लिए बेहद सरल हो गया है। नतीजा यह है कि इससे आम नागरिकों और बैंकिंग व्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सायबर अपराध की वर्तमान स्थिति:– पिछले कुछ वर्षों में सायबर अपराध के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है। 2024 में भारत में प्रतिदिन औसतन 7,000 से अधिक सायबर अपराधों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। यह पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 60.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो कि एक गंभीर समस्या है। सायबर अपराध की घटनाओं में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों का बड़ा हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकिंग धोखाधड़ी के 36,075 मामले सामने आए। यह संख्या पिछले वर्ष के 13,564 मामलों की तुलना में लगभग तीन गुना है। इन धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान भी बहुत अधिक है।

मोबाइल सिम कार्ड का दुरुपयोग सायबर अपराधियों के लिए बेहद आसान हो गया है। आजकल सिम कार्ड पाना बहुत आसान है, और कई बार सिम कार्ड के लिए दिए जाने वाले दस्तावेज़ों की जांच सही तरीके से नहीं की जाती है। यहां यह अक्सर देखा गया है कि जितने भी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों है उनका अपने एजेंट को ऊपर भी अधिक से अधिक कनेक्शंस और सिम कार्ड बेचने का दबाव रहता है और उस वजह से अपराधी किस्म के लोग एक राज्य में या एक जिले से किसी और राज्य से भी सिम कार्ड को लाकर के किसी दूसरे राज्य में उसका दुरुपयोग करते हैं और उनका शुरू से ही मंशा यह रहती है की सिम कार्ड लिया जाए और उसे अपराधियों का हवाले कर दिया जाए क्योंकि सिम कार्ड का उपयोग अगर यह देखा जाए तो जेल के अंदर से आतंकवाद और क्राइम चलाया जा रहा है उसमें भी किया जाता है इसके कारण अपराधी फर्जी पहचान का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं और उनका इस्तेमाल धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी कार्यों में करते हैं।

बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की ज़िम्मेदारियां: –सायबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। सिम कार्ड और बैंक खातों की आसान उपलब्धता के कारण सायबर अपराधियों के लिए धोखाधड़ी करना आसान हो गया है। इसलिए, टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को अपने कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सख्ती बरतने की आवश्यकता है।

सिम कार्ड जारी करते समय ग्राहक की पहचान की पूरी तरह से पुष्टि करना आवश्यक है। कई बार फर्जी पहचान पत्रों का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त किए जाते हैं, जो सायबर अपराधों में मददगार साबित होते हैं।

बैंकों की जिम्मेदारियां:–री-केवाईसी और खाताधारक की पहचान: बैंकों को सभी बचत खातों की समय-समय पर केवाईसी प्रक्रिया को अपडेट करने की आवश्यकता है। खाताधारक के पते, पहचान उसके आए के स्त्रोत एवं खाता खोलने का उद्देश्य भी बैंक को जानना चाहिए और उसको रिकॉर्ड पर लेना चाहिए और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सही तरीके से अपडेट करना आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह के फर्जी खातों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही, बैंक कर्मचारी, जिन्होंने ये खाते खोले हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन की निगरानी: आरबीआई के नियमों के अनुसार, 50,000 से अधिक की नकद जमा या निकासी होने पर तुरंत उस खाते की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, महीने में 1,00,000 से अधिक एवं 1 वर्ष में 10 लख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन आरबीआई के द्वाराअधिकृत है इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर खाताधारक से संपर्क किया जाना चाहिए और ट्रांजैक्शन की सत्यता की पुष्टि की जानी चाहिए। इससे सायबर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। बैंकों को अपने कर्मचारियों की निगरानी भी करनी चाहिए, विशेषकर उन कर्मचारियों की, जो अस्थायी या ठेके पर कार्यरत हैं। कई बार ये कर्मचारी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छोटे खाताधारकों को आकर्षक प्रस्ताव देते हैं, जिससे बैंकिंग धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी खाते में गड़बड़ी पाई जाती है, तो खाते को खोलने वाले कर्मचारी और उस दिन कंप्यूटर पर कार्यरत कर्मचारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

बैंकों को रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए, ताकि किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा, ऐसी सभी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की सूचना आरबीआई और आयकर विभाग को दी जानी चाहिए ताकि किसी भी अवैध लेन-देन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

कर्मचारी दंड नीति: यदि किसी बैंक कर्मचारी की संलिप्तता फर्जी खातों या सायबर अपराधों में पाई जाती है, तो उसे कम से कम 2 से 5 साल तक बैंकिंग क्षेत्र से निलंबित कर दिया जाए और उसकी पहचान को वित्तीय संस्थानों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। यह सख्त नीति बैंकों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेगी और कर्मचारियों के बीच अधिक अनुशासन बनाए रखेगी।

अगर किसी खाते में अनियमितता पाई जाती है, तो खाता खोलने वाले कर्मचारी और उस दिन कंप्यूटर पर काम कर रहे कर्मचारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी एब्नार्मल अमाउंट के खाते में जमा होने पर उसे तुरंत होल्ड पर रख दिया जाना चाहिए और खाताधारक से संपर्क करके यह मालूम करें कि यह पैसा उसके पास कहां से आया वह उसका स्त्रोत बताएं अन्यथा वह पूरी सूचना आयकर विभाग को तुरंत सूचित कर दें और पुलिस को सूचना कर दें क्योंकि एक सामान्य बचत खाते में इस तरह का बड़ा अमाउंट अगर आता है तो अपने आप ही शक के घेरे में आ जाता है और बैंक वालों के लिए यह मालूम करना बड़ा आसान काम है कि अमाउंट किसका आया और कहां से है यह दोनों उनको मालूम पड़ जाता है। और यह अमाउंट अगर 2 दिन के लिए भी होल्ड कर दिया जाएतो इसके साथ भी फ्रॉड हुआ है उसकी सूचना पुलिस के लिए बैंक तक पहुंच भी जाएगी और वह पैसा बैंक के खाते में ही जमा रह जाएगा

सरकार और आरबीआई के कदम:

ऑडिट और मॉनिटरिंग: भारत सरकार और आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा समय-समय पर ऑडिट किया जाए। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि वे प्रक्रिया और अन्य सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा, सायबर अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाना चाहिए।

सायबर अपराध से निपटने के लिए सरकारी कदम

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सायबर अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। सायबर सुरक्षा नीति 2020 के तहत डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सायबर पुलिस बलों का गठन भी किया गया है, ताकि सायबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद सायबर अपराधों की संख्या कम नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिम कार्ड और बैंक खातों की उपलब्धता में अभी भी पर्याप्त सख्ती नहीं बरती जा रही है। भारत सरकार और आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा समय-समय पर ऑडिट किया जाए। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि वे प्रक्रिया और अन्य सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा, सायबर अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाना चाहिए।

जागरूकता की आवश्यकता:– सायबर अपराधों से बचने के लिए नागरिकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। साथ ही, संदिग्ध कॉल या मैसेज से भी सतर्क रहना चाहिए। बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने ग्राहकों को सायबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

निष्कर्ष:– सायबर अपराध एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और इसके लिए मोबाइल सिम कार्ड और बैंक खातों की आसानी से उपलब्धता जिम्मेदार है। सरकार और आरबीआई को इस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। सिम कार्ड आवंटन प्रक्रिया में सख्ती और बैंक खातों में असामान्य लेन-देन पर सख्त निगरानी से इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। सुरक्षित डिजिटल भारत के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। जागरूकता और सतर्कता ही इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यह न केवल हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि बैंकिंग और संचार व्यवस्था में भी विश्वास को बढ़ावा देगा। धन्यवाद।

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जयपुर, राजस्थान

कॉलेज बनाम कोचिंग

प्रो. कैलाश सोडाणी

आज से 15-20 वर्ष पूर्व तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जो विद्यार्थियों का हुजुम दिखाई देता था, वह आज नदारद है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति से विश्वविद्यालयों की रौनक एवं चहल-पहल ही समाप्त हो गयी है, साथ ही शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक माहौल भी मृतप्राय हो गया है, जो विश्वविद्यालयों की पहचान होती थी, वह पहचान ही समाप्त होती जा रही है । विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा होने के बावजूद क्लास रूम हो चाहे कैफेटेरिया, पुस्तकालय हो चाहे प्रयोगशाला चारों और सन्नाटा छाया हुआ है। कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात अन्ततः छात्र जा कहाँ रहे हैं ? आज के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (आईआईटी, एआईएमएस, आईआईएम आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई हैउसमें चयन के लिए युवकों को निसंदेह अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ ने लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है। छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में समय खराब नहीं करना पड़ता है। दूसरी और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की रचना का उद्देश्य ही भिन्न है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के संचालन पर सरकार जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं दूसरी और क्लास रूम खाली पड़े हैं । न्यायालय द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति का मजाक हो रहा है। शिक्षक, विद्यार्थी, माता-पिता, प्रशासनिक अधिकारी सभी इस अव्यवस्था के साक्षी होने के बावजूदशांत हैं, परन्तु आखिर कब तक.....

एक तरफ आलीशान भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अध्यापक होने के बावजूद प्रातः 10 बजे जैसे अनुकूल समय पर भी विद्यार्थी क्लास-रूम से दूर भाग रहा है और कोचिंग सेंटर में 10 गुणा फीस देकर बेसमेंट में लगी बेंच पर बैठकर प्रातः 6 बजे सामान्य काउंसलर से बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययनरत हैं। ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर्स की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा अपितु शोध की आवश्यकता यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसे ठीक करने के लिये हमारी वर्तमान व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित है?

न केवल भारत अपितु एशिया के कई देशों में ट्यूशन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। औपचारिक शिक्षा का सिस्टम कमजोर होने से कोचिंग को बढ़ावा मिला है। एक जानकारी के अनुसार भारत, पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक करीब 25 करोड़ बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं । हाँगकाँग में 72 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 79 प्रतिशत, जापान में 52 प्रतिशत छात्र ट्यूशन पढ़ ते हैं। चीन में 2021 में पाबंदी से पहले 38 प्रतिशत छात्र ट्यूशन पढ़ते थे। हमारे देश में कोटा शहर कोचिंग की राष्ट्रीय राजधानी बन चुका है। जहां प्रतिवर्ष पूरे देश से लगभग दो लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करने आते हैं। इस संक्षिप्त आलेख के माध्यम से मेरा सुझाव है कि सरकारी नौकरी में चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राप्त अंको का 20 से 30 प्रतिशत वजन रखा जाना चाहिये। निःसन्देह गणना कठिन है क्योंकि राज्यों की परीक्षा व्यवस्था में भिन्नताएं बहुत हैं। दूसरा, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को आधार मान कर ही प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिये। इससे कॉलेजों में स्वाभाविक रूप से उपस्थिति बढ़ेगी।

कॉलेजों की भांति कोचिंग संस्थान प्रारंभ करने के लिये भी सरकार की अनुमति आवश्यक की जानी चाहिये। सरकार को कॉलेजों की भांति ही कोचिंग संस्थान हेतु भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षकों आदि के लिए नियम बनाते हुए लागू करना होगा, जिससे छात्रों को कॉलेजों की भांति कोचिंग सेन्टर पर भी आवश्यक सुविधाएँ मिलने लगेगी। नालंदा और तक्षशिला के समय से इतिहास गवाह है कि हमें विश्वविद्यालयों की समाज में उपयोगिता बनाये रखनी है। हालात इतने खराब नहीं है इसलिए इन्हें पुनः जीवन्त किया जा सकता है और यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। इस विषय पर विद्वान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य चर्चा- परिचर्चा आवश्यक है।

-प्रो. कैलाश सोडाणी,
कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

राशिफल शनिवार 19 अक्टूबर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2081, भरणी नक्षत्र दिन 10:47 तक, सिद्धि योग सायं 5:41 तक, गर करण प्रातः 9:49 तक, चन्द्रमा आज 4:10 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-तुला, गुरू-वृष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज भद्रा रात्रि 8:18 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ 7:57 से 9:22 तक, चर 12:12 से 1:37 तक, लाभ-अमृत 1:57 से 4:26 तक।

राहूकालः 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:32, सूर्यास्त 5:51

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यथावत बनी रहेगी। मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है।

मिथुन
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सोच-विचार होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। आज धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

तुला
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में आपसी अनबन बढ़ सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन ठीक रहेगा। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर- परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

नव विवाहिताओं के लिए खास पर्व है पहला करवा चौथ

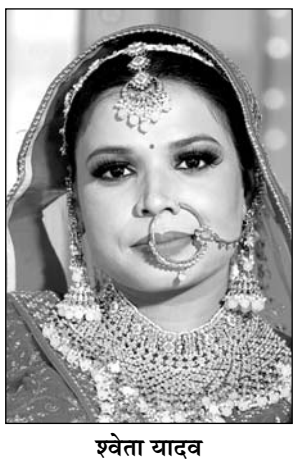

श्वेता यादव

वैसे तो शादी के बाद का हर त्यौहार अलग ही महत्त्व रखता है, लेकिन पहले करवा चौथ की बात ही कुछ ख़ास होती है।

करवा चौथ हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, खासकर उन विवाहिताओं के लिए जो पहली बार इस व्रत को निभा रही हैं। यह दिन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि नवविवाहिताओं के लिए खास उत्साह और रस्मों का अनुभव भी लेकर आता है। इस दिन विवाहिताएं सूर्योदय के साथ व्रत शुरू करती हैं और चंद्रोदय तक निर्जला उपवास रखती हैं, जिससे वे अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पहले करवा चौथ का अनुभव न केवल नए परिवार के साथ मनाने का मौका देता है, बल्कि यह सास-ससुर का आशीर्वाद भी पाने का अवसर होता है। इस दिन पति अपनी पत्नी के प्रति और भी संवेदनशील हो जाते हैं, उनकी त्याग और प्रेम को देखते हुए।

वर्तमान में, कई विवाहिताएं मिलकर इस पर्व को मनाने लगी हैं, जहां वे एक-दूसरे के साथ सुहाग का थाल साझा करती हैं और नवविवाहिताओं को विधियों से अवगत कराती हैं। पहले करवा चौथ पर तैयार होना, मेहंदी लगाना और वैवाहिक पोशाक पहनना, यह सब नवविवाहिताओं के लिए एक खास अनुभव होता है।

खास बातें जो पहली बार करवा चौथ रखने वालों को जाननी चाहिए:–

1. सरगी का महत्वः सरगी सुबह का भोजन होता है, जो आमतौर पर सास द्वारा तैयार किया जाता है। इस अवसर पर नवविवाहिताएं अपनी सास को उपहार देकर सम्मान प्रकट करती हैं।

2. पहला बयाः इस दिन सास की तरफ से भी बहू को उपहार मिलता है, जिसमें मिठाई, नमकीन, और सुहाग का सामान शामिल होता है। यह उपहार नवविवाहिताओं के लिए विशेष महत्व रखता है।

3. विशेष पूजाः परिवार की सभी महिलाएं मिलकर पूजा करती हैं, जहां नवविवाहिताओं को दुल्हन की तरह सजने का मौका मिलता है। इस अवसर पर आशीर्वाद लेना भी महत्वपूर्ण होता है।

4. पति का उपहारः पहली करवा चौथ पर पति से उपहार प्राप्त करना खास होता है, और यह प्रेम का प्रतीक बन जाता है।

त्यौहार की तैयारी

इस त्योहार का उत्साह कई दिन पहले से शुरू हो जाता है। व्रत की तैयारी में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- सूर्योदय से पहले उठें: सुबह जल्दी उठकर अपने बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और फिर सरगी का सेवन करें।

- 16 श्रृंगारः करवा चौथ पूजा में 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है, इसलिए मेहंदी लगाना न भूलें।

- विशेष परिधानः इस दिन शादी का जोड़ा पहनना चाहिए; अगर संभव न हो, तो लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनें। काले या नीले रंग से बचें।

- मन की शांतिः इस दिन किसी प्रकार की बहस या झगड़े से दूर रहें। सकारात्मकता बनाए रखें। इस पर्व को मनाने का तरीका आपके दांपत्य जीवन को और भी मजबूत बना सकता है। पहली करवा चौथ एक खूबसूरत अवसर है, जिसमें प्यार और परंपरा का मिलन होता है।

–श्वेता यादव, लेखिका

एनजीटी ने डीएमएफटी फंड के उपयोग की जानकारी मांगी

राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को दिये आदेश

भीलवाड़ा, (निसं)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का नियमानुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में उचित उपयोग नहीं होने के मामले में भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव को आदेश देते हुए डीएमएफटी फण्ड की प्राप्ति, उपयोग, प्राप्त फण्ड एवं उपयोग की लेखापरीक्षा की निगरानी प्रणाली की सूचना इकट्ठी कर संकलित करते हुए दो सप्ताह में न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है।

- जाजू की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

जाजू ने बताया कि सरकार की ओर से याचिका में प्रस्तुत किये गये जवाब में कहीं पर भी डीएमएफटी फण्ड की प्राप्ति एवं उपयोग को स्पष्ट प्रदर्शित नहीं किये जाने के कारण एनजीटी द्वारा यह आदेश दिये गये हैं। मामले में आगामी सुनवाई 21 नवम्बर को होगी। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिपति शिवकुमार सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने मामले में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रमुख सचिव मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट जयपुर, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर, निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर, सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग, जयपुर, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, सदस्य सचिव राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन फण्ड भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वर्ष 2015 से डीएमएफ योजना के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 19,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि एकत्र की गई है एवं इसमें से केवल 55 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है, जिससे डीएमएफ फंड की पारदर्शिता और प्रभावी उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। जाजू ने बताया कि राजस्थान में 6 हजार करोड़ रुपया एवं भीलवाड़ा में लगभग 1800 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड में जमा है एवं भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपया खनन रॉयल्टी से फंड में आता है।